दिनांक 03.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 03/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव निर्वाचन–2021

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री एच0सी0 अवस्थी द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समय–समय पर चुनाव के पूर्व की तैयारियो, पुलिस बल के व्यवस्थापन, वेलफेयर, संसाधन, मतदान एवं मतगणना डियूटी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। जिसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज दिनांक 03.04.2021 को प्रारम्भ हो गया है। प्रथम चरण में जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झाँसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर, व भदोही कुल–18 जनपदों में नामांकन प्रक्रिया 02 दिन दिनांक 03.04.2021 से 04.04.2021 तक प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक चलेंगी।

- नामांकन प्रपत्रों की समीक्षा दिनांक 05.04.2021 व 06.04.2021 को की जायेगी।
- नाम वापसी दिनांक 07.04.2021 को सुबह 08 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक हो सकेगी।
- चुनाव चिन्ह आवंटन भी इसी दिनांक 07.04.2021 को अपरान्ह 03 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा।
- दूसरे चरण का नामांकन दिनांक 19.04.2021 से प्रारम्भ होगा।

विगत 10 दिनों (दिनांक 24.03.2021 से दिनांक 02.04.2021 तक) में की गयी कार्यवाही का विवरण

➢ **अवैध शस्त्र/विस्फोटक की बरामदगी**

बरामद अवैध अस्त्र		743
बरामद अवैध शस्त्र	फैक्ट्री मेड(आग्नेय शस्त्र)	40
	देशी(आग्नेय शस्त्र)	1527
बरामद अवैध कारतूस		2617
बरामदगी किलोग्राम में		2121

➢ **अवैध शस्त्र निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही**

बरामद अवैध शस्त्र फैक्ट्री की संख्या	49
जब्त किये गये अवैध शस्त्रो की संख्या	488
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	68

➢ **अवैध शराब की बरामदगी/कार्यवाही**

अवैध शराब की बरामदगी लीटर में	214400.68
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	5806

➢ **अवैध शराब की भट्टियों की बरामदगी/कार्यवाही**

बरामद अवैध शराब की भट्टियों की संख्या	929
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	1031

➢ **धारा 151 दं0प्र0सं0 के** अन्तर्गत कार्यवाही की संख्या–27280

➢ **गैर जमानतीय वारण्टों** का तामीला/निस्तारित की संख्या– 5390

➢ **अन्य निरोधात्मक कार्यवाही**

- **एनएसए** में की गई कार्यवाही की संख्या– 12
- **गैंगेस्टर एक्ट में गिरफ्तार** किये गये अभियुक्तों की संख्या– 482
- **गैंगेस्टर एक्ट में 14(1)** में की गई कार्यवाही की संख्या– 58

- **गुण्डा एक्ट में प्रेषित चालान** की संख्या– 3903
- **जिला बदर की संख्या**– 579
- **110जी के अन्तर्गत पाबन्द** की संख्या– 18048

➢ **पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही**

- गिरफ्तार पुरस्कार घोषित अपराधियों की संख्या–58
- हाजिर अदालत पुरस्कार घोषित अपराधियों की संख्या– 21

➢ **लाइसेंसी शस्त्र की दुकानो की मजिस्ट्रेट/पुलिस द्वारा संयुक्त चेंकिग**

- चेक किये गये दुकानो की संख्या– 150
- दिनांक 15.02.2021 से अब तक जमा किये गये लाइसेंसी शस्त्रो की संख्या– 511623 (पांच लाख ग्यारह हजार छः सौ तेइस)

कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त तीन नए ट्विटर एकाउंट का सृजन

कानपुर एवं वाराणसी कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त दोनों जनपदों के शेष बचे हुये थाने कानपुर आउटर एवं वाराणसी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करेंगे। कानपुर आउटर के अधीन 11 थाने क्रमशः बिल्हौर, ककवन, चौबेपुर, शिवराजपुर, घाटमपुर, सजेती, विधनू, साढ़, महाराजपुर, सचेंडी एवं नर्वल तथा वाराणसी ग्रामीण के अधीन 10 थाने क्रमशः मिर्जामुराद, कापसेठी, बड़ागाँव, रोहनिया, लोहता, जन्सा, फूलपुर, सिंधौरा, चोलापुर एवं चौबेपुर हैं। कानपुर आउटर के अधीन उपरोक्त 11 थाना क्षेत्र एवं वाराणसी ग्रामीण के अधीन उपरोक्त 10 थाना क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ प्राप्त होने वाली जन–शिकायतों का निस्तारण कराये जाने हेतु उक्त दोनों पुलिस इकाईयों के ट्विटर एकाउंट का शुभारम्भ किया जा रहा है। कानपुर आउटर का ट्विटर एकाउंट @KanpurOuterpol एवं वाराणसी ग्रामीण का ट्विटर एकाउंट @VaranasiRural हैं। ज्ञात हो कि लखनऊ कमिश्नरेट के गठन के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र के शेष 05 थाने क्रमशः बख्शी का तालाब, इटौंजा, माल, मलिहाबाद, निगोंहा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखनऊ के अधीन कार्य कर रहे है, जिसका ट्विटर एकाउंट @Splucknow_rural पूर्व से ही प्रचलित है।

जनपद मेरठ/थाना सरधना

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 43000 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.04.2021 को थाना सरधना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाहुबली फैक्ट्री के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सोनू, 2—ताज मोहम्मद उर्फ ताजू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 43000 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलो को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आदि के 31 अभियोग एवं अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ ताजू के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरधना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 487/2020 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 93/2021 धारा 392 भादवि में वाछिंत चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों से बरामद रूपया थाना सरधना पर पंजीकृत लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरधना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी महल थाना इंचौली जनपद मेरठ।

2–ताज मोहम्मद उर्फ ताजू निवासी महमदपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

बरामदगी

1–लूट के 43000 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 13 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 कार, 10 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **21 चाभी, 12 विभिन्न वाहनो की फर्जी आर0सी0**
- **03 इंजन व चेचिस नम्बर की कटी प्लेट**
- **04 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2021 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चक्कर चौराहा नगीना रोड के पास से एवं झालू रोड से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक सहित 13 शातिर वाहन चोर 2–महेन्द्र उर्फ घोडा, 3–दीपक उर्फ सचिन, 4–शाहिद, 5–ऋषभ उर्फ छोटू, 6–मो0 शाहिद, 7–मनव्वर, 8–शहजाद, 9–अमित, 10–अंकित, 11–फुंगानगम, 12–नवाज खान, 13–जयराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 चार पहिया वाहन, 10 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि, 11 लाक, 21 चाभी, 02 फर्जी मोहर, 12 विभिन्न वाहनो की फर्जी आर0सी0, 03 इंजन व चेचिस नम्बर की कटी प्लेट, 04 फर्जी नम्बर प्लेट एक ही नम्बर की, 15 विभिन्न बैकों के वीजा कार्ड, 09 विभिन्न बैकों की चेक बुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। जिसमें अभियुक्त महेन्द्र उर्फ घोडा हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, आदि के 32 अभियोग, अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद व हापुड के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, धोखाधडी आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त सचिन के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, आगरा, हापुड व अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधडी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक थाना हापुड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 823/2020 धारा 379 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महेन्द्र उर्फ घोडा निवासी मो0 काबलीगेंट थाना मवाना जनपद मेरठ।

2—दीपक निवासी ग्राम गोयना थाना कोतवाली शहर जनपद हापुड।

3—दीपक उर्फ सचिन निवासी चौकपुरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

4—शाहिद निवासी भैंसा थाना मवाना जनपद मेरठ।

5—ऋषभ उर्फ छोटू निवासी अब्दुल रहमानपुर पुरेना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

6—मो0 शाहिद निवासी मो0 कल्याण सिंह कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

7—मनव्वर निवासी मो0 बाहरकिला थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

8—शहजाद निवासी सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

9—अमित निवासी कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

10—अंकित निवासी मो0 ठाकुरों वाला कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

11—फुंगानगम निवासी बिटियांग लाफोक थाना खोउपुम जनपद नौने मणिपुर।

12—नवाज निवासी ओइनम साओमबंग थाना वानगोई जनपद इंफाल वेस्ट मणिपुर।

13—जयराम निवासी नवलपुर थाना मनोहरपुर जनपद जयपुर राजस्थान।

बरामदगी

1—चोरी की 10 चार पहिया वाहन।

2—चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4—11 लाक, 21 चाभी, 02 फर्जी मोहर।

5—12 विभिन्न वाहनो की फर्जी आर0सी0।

6—03 इंजन व चेचिस नम्बर की कटी प्लेट।

7—04 फर्जी नम्बर प्लेट एक ही नम्बर की।

8—15 विभिन्न बैकों के वीजा कार्ड।

9—09 विभिन्न बैकों की चेक बुक आदि।

जनपद हाथरस/थाना हसायन

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.04.2021 को थाना हसायन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रति का नगला तिराहा से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ बसईया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद हाथरस व अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2018 धारा 392/411/307/420 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हसायन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—ताज मोहम्मद उर्फ बसईया निवासी धुबई थाना हसायन जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना हथिगंवा</u>

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 212 पेटी अवैध अंग्रेजी/देशी शराब**
- **अवैध शराब बनाने के उपकरण, रैपर, शीशी व ढक्कन आदि बरामद)**

दिनांक 02/03.04.2021 को थाना हथिगवां, क्राइम ब्रांच व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र हथिगवां से अवैध शराब की फैक्ट्री संचालन कर रहे 07 अभियुक्तों 1—दिवाकर 2—शुभम 3—भारत व 04 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 212 पेटी अवैध अंग्रेजी/देशी शराब, अवैध शराब बनाने के उपकरण, 02 प्लास्टिक के ड्रम में 205 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट, 01 लाख 25 हजार रैपर, 40 हजार शीशी व 01 लाख 30 हजार ढक्कन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हथिगवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दिवाकर निवासी बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

2—शुभम निवासी बलीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

3—भारत निवासी कन्धई का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

4—04 महिला अभियुक्ता ।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 212 पेटी अवैध अंग्रेजी/देशी शराब।

2— अवैध शराब बनाने के उपकरण।

3—02 प्लास्टिक के ड्रम में 205 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट

4—01 लाख 25 हजार रैपर।

5—40 हजार शीशी।

6—01 लाख 30 हजार ढक्कन आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली देहात

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 14 कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गद्दीपुर के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्तों 1—पंकज 2—शिव 3—नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 14 कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, अभियुक्त नरेश के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त पंकज व शिव के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज निवासी अकबरपुर मुन्नापुरवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

2—शिव निवासी अकबरपुर मुन्नापुरवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

3—नरेश निवासी बहेरवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र।

2—14 कारतूस

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र**
- **06 नाल, 11 खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि**

दिनांक 03.04.2021 को थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुसरोपुर रोड नहर पटरी जंगल ग्राम महबलीपुर ईख के खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे अभियुक्त अजय उर्फ बादल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 06 नाल, 11 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय उर्फ बादल निवासी बसायच थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—12 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र।

2—06 नाल, 11 खोखा कारतूस।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना गढिया रंगीन

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **01 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 02.04.2021 की रात्रि थाना गढिया रंगीन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मौघटा तिराहा के पास से मादक पदार्थ तस्कर शानू प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गढिया रंगीन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शानू प्रताप निवासी जरियनपुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो अवैध अफीम।

2—01 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस।

जनपद हापुड/थाना हापुड

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 130 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **02 चार पहिया वाहन**
- **07 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2021 को थाना हापुड व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ततारपुर फ्लाईओवर के पास से 05 अभियुक्तों 1—आलम, 2—फहीम, 3—सुमित, 4—राजीव, 5—जगमीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 130 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 02 चार पहिया वाहन, 07 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलम निवासी नवादा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

2—फहीम निवासी नवादा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

3—सुमित निवासी पटेल नगर अर्बन इस्टेट हिसार हाल हेतराम पार्क कालोनी हिसार हरियाणा।

4—राजीव निवासी कनिया कल्याणपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

5—जगमीत निवासी दयालपुर थाना सदर जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 130 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—02 चार पहिया वाहन।

3—07 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना करनैलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कोर्ट जनपद गोण्डा द्वारा करनैलगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अभियुक्त तूफानी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एसटीएफ – महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) नेता एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता जमील अहमद शेख पुत्र अब्दुल रब की दिनांक 23–11–2020 को थाणे महाराष्ट्र में हत्या कर सनसनी फैलाने वाला अपराधी इरफान पुत्र सोनू एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।</u>

दिनांक 03–04–2021 को एसटीएफ उ0प्र0 को मनसे नेता एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता जमील अहमद शेख पुत्र अब्दुल रब की दिनांक 23–11–2020 को थाणे महाराष्ट्र में हत्या कर सनसनी फैलाने वाला अपराधी इरफान पुत्र सोनू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

इरफान सोनू शेख मंसूरी उर्फ राजधनिया उर्फ रामधनी उर्फ पंकज उर्फ मोटू पुत्र सोनू निवासी–खीरिया, थाना गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

जनपद लखनऊ के थाना विभूतिखण्ड क्षेत्रान्तर्गत कठौता झील चौराहे के पास से, दिनांक 03–04–2021 समय 12.10 बजे लगभग।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के विभिन्न टीमों/इकाईयों द्वारा पेशेवर अपराधियों एवं संगठित गिरोहों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जाती रही है।

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (मनसे) के पदाधिकारी एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता जमील अहमद शेख पुत्र अब्दुल रब की दिनांक 23–11–2020 को थाना क्षेत्र राबोड़ी थाणे, महाराष्ट्र क्षेत्रान्तर्गत छोटी मस्जिद के पास हत्या कर सनसनी फैलाने वाले अपराधियों के विरूद्ध मु0अ0सं0 497/2020 धारा 302/34 भादवि0 3/25/27 आर्म्स एक्ट, 37(1)/135 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट थाना राबोड़ी जिला थाणे महाराष्ट्र में पंजीकृत

हुआ। इसी दौरान दिनांक 17—03—2021 को मा0 न्यायालय 6th Judicial magistrate First class thane द्वारा Standing Non Bailable Warrant (See Seetion 70 Cr.P.C) ओसामा एवं इरफान के विरूद्ध निर्गत किया गया था।

उक्त मुकदमें फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं विवेचना में सहयोग हेतु डिप्टी कमीश्नर क्राइम ब्रॉच, थाणे सिटी द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में श्री धर्मेश शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री सत्यप्रकाश सिंह, निरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन एवं क्राइम ब्रॉच यूनिट—01 निरीक्षक श्री नितिन ठाकरे से अभिसूचनाओं को साझा किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त घटना का अभियुक्त इरफान सोनू शेख मंसूरी उर्फ राजधनिया उर्फ रामधनी उर्फ पंकज उर्फ मोटू पुत्र सोनू निवासी—खीरिया, थाना गुलरिहा, जनपद—गोरखपुर जो दिनांक 23—11—2020 को मनसे नेता एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता जमील अहमद शेख पुत्र अब्दुल रब की थाणे महाराष्ट्र की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज घटना को अन्जाम दिया था गोरखपुर में ही छिपकर रह रहा है।

अभिसूचना संकलन के क्रम में मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि वह आज दिनांक 03—04—2021 को लखनऊ कठौता झील चौराहे के पास आयेगा और किसी व्यक्ति से मिलेगा उसके बाद वहाँ से कहीं बाहर भाग जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, उ0नि0 सूरज नाथ सिंह, उ0नि0 आलोक राय, हे0का0 यशवन्त सिंह, हे0 का0 सुशील चौधरी, हे0का0 संतोष सिंह, हे0का0 नसीरूद्दीन, हे0का0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे यूनिट प्रथम क्राइम ब्रान्च ठाणे महाराष्ट्र अपनी टीम के साथ थाना विभूतिखण्ड क्षेत्रान्तर्गत कठौता झील चौराहे के पास पहुॅचकर समय करीब 12.00 बजे लगभग उपरोक्त अपराधी इरफान को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 23.11.2020 को ओसामा ने शाहिद को रूम पर बुलाया और मुझसे एवं शाहिद से बोला कि आज ही हत्या करनी है। फिर हम लोग जहॉ शाहिद की कार/गाड़ी खड़ी थी वहॉ गये और वहॉ गाड़ी से कपड़ा निकालकर कपड़ा बदला। मैं और शाहिद ओसामा की मोटरसाइकिल से राबोड़ी मस्जिद गये, शाहिद हेलमेट लगाये था, ओसामा शाहिद की मोटर साइकिल से हम लोगो के साथ गया। जमील शेख जब राबोड़ी मस्जिद से बाहर निकला तब हम लोग

उसके पीछे लग गये शाहिद मोटरसाइकिल चला रहा था मैं पीछे बैठा था कुछ दूर आगे जाकर मैंने जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान ओसामा बाइक से आगे पीछे अगल–बगल था। यह हत्या नजीबुल्लाह निवासी–राबोड़ी जनपद थाणे महाराष्ट्र जो एन0सी0पी0 का नेता (कारपोरेटर) है के कहने पर (सुपारी देने पर) किया गया था। इस हत्या के एवज में मुझे दो लाख रूपया मिलना था। ओसामा ने नजीबुल्लाह से कितने रूपये में डिल किया था मुझे पता नहीं है। एफ0आई0आर0 में शक नजीबउल्लाह पर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायलय सीजीएम लखनऊ के समक्ष पेश कर सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी थाणे महाराष्ट्र के समक्ष पेश करने हेतु ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु महाराष्ट्र क्राइम ब्रान्च यूनिट प्रथम को सुपुर्द कर भेजा गया। अग्रमि विधिक कार्यवाही क्राइम ब्रान्च यूनिट प्रथम ठाणे महाराष्ट्र द्वारा की जाएगी।

एसटीएफ – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 10.500 कि0ग्रा0 अफीम (मूल्य लगभग 52 लाख रूपये) के साथ एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 03–04–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10.500 कि0ग्रा0 अफीम (मूल्य लगभग 52 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– श्याम बाबू गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता नि0 प्रगतिनगर करगौना, थाना सुभाषनगर, बरेली।

बरामदगीः–

1– 10.500 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ अफीम (मूल्य लगभग 52 लाख रूपये)

2– 01 कार (PB 57 0068)

3– 01 वोटर आईडी कार्ड।

4– 01 अदद मोबाईल फोन।

5– 01 अदद डीएल।

6– 01 अदद पैन कार्ड।

7– रूपये 5,330/– नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः—</u>

थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत एमईएस द्वार के पास बरेली—शाहजहॉपुर रोड दिनांक 03.04.2021 समय 09.05 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को नेपाल देश से अवैध मादक पदार्थों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन मे श्री अमित कुमार नागर पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा नेपाल देश से फलो की टोकरी में छिपाकर उत्तराखण्ड के रास्ते मादक पदार्थो की तस्करी कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विक्रय किया जा रहा है। इसी क्रम में एसटीएफ टीम को विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थों (अफीम) की तस्करी करने वाला एक गिरोह जो नेपाल देश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सक्रिय है, आज मादक पदार्थ (अफीम) की खेप लेकर कैण्ट थाना क्षेत्र में सेटलाइट चौराहा जनपद—बरेली होते हुए कही जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 की टीम निरीक्षक दिलीप तिवारी व उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद बरेली पहुंची एवं वहां से स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को एस0टी0एफ0 टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह अवैध मादक पदार्थ (अफीम) नेपाल से रू0 65 हजार के भाव से खरीदकर सोनीपत हरियाणा निवासी अर्जुन जाट को व सभी खर्चो को जोड़कर 5 से 6 हजार रूपये प्रति 10 ग्राम की दर से फुटकर में सप्लाई करता था।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व बरेली निवासी अकरम से अफीम खरीदता था। अकरम के गिरफ्तारी हेतु रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था जिसे एसटीएफ टीम द्वारा पूर्व में जनपद हरदोई से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अकरम के जेल चले जाने के बाद यह नेपाल के तस्कारों से सम्पर्क कर अफीम मंगाने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 142/2021 धारा 08/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना—कैण्ट, जनपद—बरेली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ – समावेश म्यूचुअल बेनीफिट निधि लि0 कम्पनी बनाकर कम्पनी में इनवेस्ट करने पर 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर करोड़ो रूपये इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 02 अभियुक्त जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार।

दिनांकः 02–04–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को समावेश म्यूचुअल बेनीफिट निधि लि0 कम्पनी बनाकर कम्पनी में इनवेस्ट करने पर 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर करोड़ो रूपये इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 02 अभियुक्तों को जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. विक्रम प्रताप सिंह उर्फ अंकुर पुत्र दुखहरण सिंह निवासी ग्राम अजईमऊ थाना टिकैतनगर तहसील रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी। (डायरेक्टर समावेश म्यूचुअल बेनी फिट निधि लि0 कम्पनी)
2. विक्रम विकाश सिंह पुत्र दुखहरण सिंह निवासी ग्राम अजईमऊ थाना टिकैतनगर तहसील रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी (डायरेक्टर समावेश म्यूचुअल बेनी फिट निधि लि0 कम्पनी)

बरामदगी–

1. 01 अदद लैपटाप।
2. 04 अदद मोबाइल।
3. 01 अदद कम्प्यूटर।
4. 02 अदद रजिस्टर।
5. 02 अदद कलेक्शन डायरी।
6. 02 अदद पाकेट डायरी
7. नकद रू 1100/(एक हजार एक सौ)।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः 02.04.2021, स्थान– थाना क्षेत्र रामसनेहीघाट, बाराबंकी समयः 22:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न कम्पनियों मे रूपया जमा करने पर अधिक व्याज देने का प्रलोभन देकर ग्राहकों से करोडों रूपये जमा कराकर ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को उप निरीक्षक पंकज सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था।

इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि समावेश म्यूचुअल बेनीफिट निधि लि0 कम्पनी बनाकर कम्पनी में इनवेस्ट करने पर 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर करोड़ो रूपये इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के विरूद्ध थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0 383/2020 धारा 419/420/467/468/471/ 406/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 429/2020 धारा 420 भादवि पंजीकृत हुए है। उपरोक्त सूचना को अभिसूचना संकलन के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 02/04/2021 को समय करीब 22:45 बजे गैंग के सरगना सहित उपरोक्त अभियुक्तों को रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी से एसटीएफ व थाना रामसनेहीघाट की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार गैंग के सरगना विक्रम प्रताप सिंह उर्फ अंकुर ने बताया कि अप्रैल 2018 में मै मेरा छोटा भाई विक्रम विकाश सिंह व चन्दन सिंह ने मिलकर समावेश म्यूचुअल बेनी फिट निधि लि0 कम्पनी बनायी इस कम्पनी में मै व मेरा भाई विकाश विक्रम सिंह डायरेक्टर थे व चन्दन सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसके अतिरिक्त सचिन त्रिपाठी सी0ई0ओ0, शशि प्रकाश पाण्डेय फाईनेन्शियल हेड, अखिलेश सिंह रिकवरी हेड, हिमांसू त्रिपाठी एफ0डी0 हेड, लक्ष्मीकान्त वर्मा लोन डिपार्टमेण्ट हेड, उमेश सिंह जनरल मैनेजर, संदीप तिवारी असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, अभिषेक नाग कम्प्यूटर आपरेटर, आरिफ व सचिन आदि एजेन्ट थे। हमारी कम्पनी में चन्दन सिंह द्वारा ऐजेन्ट बनाये जाते थे। एजेन्टों द्वारा जो भी रूपया कम्पनी में जमा कराया जाता था उसका 05 प्रतिशत कमीशन के तौर पर ऐजेन्टो को दिया जाता था, इन्ही एजेन्टों द्वारा आर0डी0 पर 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व एफ0डी0 पर 60 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से, व्याज मिलने का प्रलोभन देकर रूपये इनवेस्ट कराये जाते थे। जब कम्पनी में करोडों रूपये जमा हो गये तो हम लोगों ने कम्पनी का आफिस बन्द कर दिया व इनवेस्टर को रूपये देना भी बन्द कर दिया। कम्पनी मे जमा हुए रूपयों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया। इस बात की जानकरी एजेन्टो को भी हो गयी जिसका लाभ उठाकर एजेन्टों द्वारा भी मार्केट से रूपये ले कर कम्पनी में जमा नही किये गये। जिस कारण कुछ समय बाद हमारे विरूद्ध मुकदमे पंजीकृत हो गये। हम लोग गिरफ्तारी व देन दारी से बचने के लिए घर छोड कर लुक छिप कर रहने लगे। आज चुपके से अपने गॉव जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में पंजीकृत मु0अ0सं0 383/2020 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 429/2020 धारा 420 भादवि में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————